सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस नोट- दिनांक 10/06/2024

अपराध नियंत्रण की दिशा मे कार्य करते हुये इटावा पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को 02 अवैध तमंचे व 04 जिंदा कारतूस 315 बोर सहित किया गया गिरफ्तार।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में थाना बसरेहर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना/गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण-

जनपद मे अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम मे दिनांक 09.06.2024 की रात्रि को थाना बसरेहर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत रिटौली पुलिया पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी। इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि 02 व्यक्ति ग्राम रिटौली की तरफ से आ रहें है जिनके पास अवैध असलहा भी है। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये पुलिस टीम द्वारा **अभियुक्त मुस्ताक उर्फ नसरुद्दीन एवं आसिफ खान पुत्र हनीफ खान को 02 अवैध तमंचा व 04 जिंदा कारतूस 315 बोर सहित रिटौली तिराहे के पास से समय 22.30 बजे गिरफ्तार किया गया।**

उक्त बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर थाना बसरेहर पर मु0अ0सं0 42/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मुस्ताक पुत्र नशरूद्दीन निवासी ग्राम रिटौली थाना बसरेहर इटावा उम्र करीब 19 वर्ष।
2. आसिफ खान पुत्र हनीफ खाँ निवासी ग्राम रिटौली थाना बसरेहर उम्र करीब 18 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 42/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बसरेहर जनपद इटावा।

बरामदगी-

1. 02 अवैध तमंचा 315 बोर ।
2. 04 जिंदा कारतूस 315 बोर।

पुलिस टीम –उ0नि0 श्री कपिल चौधरी थानाध्यक्ष बसरेहर, उ0नि0 राजेन्द्र, का0 विनोद, का0 अवनीश कुमार।